

26/3/24.

परावकी पेश हुती इमत्रपस उपादिधता
 प्राथी शुनिमन बैंक ऑफ इण्डिया बांसवाड़ा के
 पत्रांक 1269/20-21/12 दिनांक 25/3/2024
 केसाथ संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार
 अप्राथी द्वारा सम्पूर्ण शशि का शुगतान कर
 किया गया है प्राथी अविश्वता द्वारा प्रमाण
 विज्ञा करने काबत प्राथीना पत्र प्रस्तुत किया है
 अतः प्रमाण में त्रुण की शशि जमा हो जाने
 से कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः परावकी
 फौजदारी शुफार होकर दायित्व दफ्तर है।

जिला-युनिवर्सिटी बैंक ऑफ इण्डिया
 FOR (UNIVERSITY) BANK OF INDIA
 शाखा - बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
 बांसवाड़ा (राज.)

इस प्रमाण पत्र का प्रयोग
 केवल प्रमाण पत्र के लिए है

